भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1786

जिसका उत्तर मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026)

1786. डा. सतीश पूनिया:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके अंतर्गत हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस नीति के अंतर्गत गैस-आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों में नए निवेश को प्रोत्साहित करने और घरेलू यूरिया उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस नीति से निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने, निवेश पर व्यवहार्य प्रतिफल सुनिश्चित करने और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में किस प्रकार सहायक होने की उम्मीद है; और
(घ) यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने, आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों के लिए दीर्घकालिक उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में एनआईपीयू-2026 के अपेक्षित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (आत्मनिर्भर भारत के लिए एनआईपीयू-2026) को 15 जुलाई 2026 को मंजूरी दी है और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, आयात को कम करने और किसानों के लिए दीर्घकालिक उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति को 30 जुलाई 2026 को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया । आत्मनिर्भर भारत के लिए एनआईपीयू-2026 की मुख्य विशेषता**एं अनुलग्नक** में रखी गई हैं।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 04.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.1786 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक के लिए है।

सं.12012/2/2025-यूपीपी (ई.39378)
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

कर्तव्य भवन-2,नई दिल्ली
दिनांक 30 जुलाई 2026

सेवा में

I. राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिव
2 सभी यूरिया उत्पादन इकाइयों के सीएमडी/एमडी
3. जीएआईएल, फैक्ट, आईओसीएल, ओस्टावाल समूह के सीएमडी/एमडी

विषय: आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026)

महोदय/महोदया,

मुझे आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026)के लिए भारत सरकार की मंजूरी देने का निदेश दिया गया है, जिसका उद्देश्य यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाना है। एनआईपीयू-2026 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. यह यूरिया इकाइयों को देय राशि के लिए न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य की संरचना प्रदान करता है, जिसकी गणना वितरित गैस मूल्य (शुल्क और करों सहित) और इकाई की नियत लागत के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम मूल्य इक्विटी पर न्यूनतम रिटर्न प्रदान करके निवेश को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है और अधिकतम मूल्य उन लाभों की राशि को सीमित करता है जो इकाइयां कमा सकती हैं, यह देखते हुए कि खजाने से सब्सिडी की निकासी से इकाइयों की संपूर्ण व्यवहार्यता पोषित हो रही है। प्रत्येक यूरिया इकाई का न्यूनतम (न्यूनतम) और उच्चतम (अधिकतम) मूल्य गणना की गई आयात समानता मूल्य (आईपीपी) (अनुलग्नक-1 में परिभाषित) के संदर्भ में संचालित होगा। इस उद्देश्य के लिए, आईपीपी बंदरगाह पर किसी भी लागू सीमा शुल्क और हैंडलिंग और बैगिंग शुल्क के बिना औसत सी एंड एफ मूल्य है। यदि आकलित किया गया आईपीपी (देय) लागू न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच आता है, तो आकलित किया गया आईपीपी (देय) अपनाया जाएगा। हालाँकि, यदि आईपीपी (देय) क्रमशः अधिकतम मूल्य या न्यूनतम मूल्य से ऊपर या नीचे है, तो यह अधिकतम या न्यूनतम मूल्य होगा जो स्वीकार्य होगा, जैसा भी मामला हो।

2. नए यूरिया संयंत्रों के लिए नियत लागत और ऊर्जा लागत को अलग किया गया है।

जे. जिन मानदंडों के अनुसार संयंत्र विभिन्न श्रेणियों जैसे ब्राउनफील्ड/विस्तार, पुनरुद्धार और ग्रीनफील्ड के तहत अर्हता प्राप्त करेंगे, वे निम्नानुसार होंगे:

3.1 **विस्तार या ब्राउनफील्ड परियोजनाएं**: यदि मौजूदा उर्वरक संयंत्र अपने परिसर में एक नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र (एक अलग नई अमोनिया-यूरिया ट्रेन) स्थापित करते हैं, कुछ सामान्य उपयोग्य साधनों का उपयोग करते हैं तो उन्हें एक विस्तार परियोजना के रूप में पात्र माना जाएगा। निवेश की न्यूनतम सीमा 9,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए।

3.2 **ग्रीनफील्ड परियोजनाएं**: ऐसी कोई भी यूरिया इकाई जो परियोजना स्थल पर, जहां कोई पिछली समान विनिर्माण सुविधाएं जैसे भूमि का अधिग्रहण, उसके बाद भंडारण सुविधाओं के साथ अमोनिया-यूरिया संयंत्र का निर्माण, परिवहन सुविधाएं, पानी और सीवेज उपचार आदि सुविधाएं मौजूद नहीं थीं, स्थापित करती हैं तो उसे ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में माना जाएगा।

3.3 **बंद यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करना**: हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद यूरिया इकाइयां, यदि पुनर्जीवित की जाती हैं, तो ये 'बंद यूरिया इकाइयों का पुनर्जीवन' के अंतर्गत आएंगी।

3.4 **नवीनीकरण परियोजनाएं**: अमोनिया-यूरिया उत्पादन की मौजूदा ट्रेन में पूंजी निवेश के माध्यम से मौजूदा संयंत्रों की क्षमता में कोई भी सुधार या उत्तरोत्तर वृद्धि मौजूदा इकाइयों के नवीनीकरण के रूप में आने वाली परियोजनाएं मानी जाएगी।

4 ग्रीनफील्ड/बंद यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करना

(i) यह प्रस्तावित किया गया है कि ग्रीनफील्ड/पुनर्जीवित यूरिया इकाइयों के लिए 6.5 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक की गैस की कीमत पर:

(क) यूरिया का न्यूनतम मूल्य 281 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय किया जाएगा।

(ख) यूरिया का अधिकतम मूल्य 296 अमरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय किया जाएगा।

(ii) आपूर्ति की गई गैस की कीमत में प्रत्येक 0.1 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के संशोधन के लिए, निम्नलिखित को तदनुसार बदलने का प्रस्ताव है:

(क) 14 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक के वितरित गैस मूल्य पर न्यूनतम और अधिकतम कीमत में 2 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी का संशोधन।

(ख) 14 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से अधिक की वितरित गैस की कीमत के लिए न्यूनतम मूल्य में 2 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी का संशोधन।

(iii) ग्रीनफ़ील्ड/बंद यूरिया इकाइयों का पुनर्जीवन श्रेणी की इकाइयों से यूरिया को ऊपर 4 (i) और 4 (ii) पर उल्लिखित फ़्लोटिंग न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के अध्यधीन 95% आईपीपी (सीएंडएफ) की एक समान दर पर मान्यता देने का प्रस्ताव है।

5 विस्तार या ब्राउनफील्ड परियोजनाएं

(i) यह प्रस्तावित है कि, विस्तार/ब्राउनफील्ड यूरिया इकाइयों के लिए 6.5 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक की वितरित गैस की कीमत पर:

(क) यूरिया का न्यूनतम मूल्य 263 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय किया जाएगा।

(ख) यूरिया की अधिकतम कीमत 276 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय की जाएगी।

(ii) वितरित गैस की कीमत में प्रत्येक 0.1 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के संशोधन पर, तदनुसार निम्नलिखित को बदलने का प्रस्ताव है:

(क) 14 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक की वितरित गैस कीमत के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमत में 2 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी का संशोधन।

(ख) 14 अमरीकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से अधिक की वितरित गैस कीमत के लिए न्यूनतम कीमत में 2 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी का संशोधन।

(iii) विस्तार/ब्राउनफ़ील्ड यूरिया इकाइयों से यूरिया को ऊपर पैरा 5 (i) और 5 (ii) पर उल्लिखित फ़्लोटिंग न्यूनतम और अधिकतम कीमतों के अध्यधीन 90% की एक समान आईपीपी (सीएण्डएफ) दर पर मान्यता देने का प्रस्ताव है।

6 पुनरुद्धार परियोजनाएं

पुनरुद्धार परियोजनाओं पर मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए नीति आयोग के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा विस्तृत जांच के अध्यधीन होगा। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर उर्वरक विभाग की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा इस अधिसूचना के पैरा 16.1 में उल्लिखित किए अनुसार विचार किया जाएगा, और उपयुक्त पाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए रखे जाने से पहले व्यय विभाग (डीओई) की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आगे संसाधित किया जाएगा।

7 विदेशी मुद्रा विनिमय दर का सामान्यीकरण

नीति के अंतर्गत प्रचलित मौजूदा विनिमय दर (1 अमेरिकी डॉलर = ₹90) के आधार पर और क्रमशः ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड श्रेणी के लिए लगभग ₹10,251 करोड़ और ₹9,000 करोड़ की परियोजना लागत को ध्यान रखा गया है। ग्रीनफ़ील्ड परियोजना की न्यूनतम कीमत 281 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन बताई गई है जिसमें 130 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की परिवर्तनीय लागत और 151 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की नियत लागत शामिल है। इस नीति के अधिसूचित होने की तारीख से चार साल बाद 151 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की नियत लागत को इन चार वित्तीय वर्षों की औसत विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा। इसी प्रकार, ब्राउनफ़ील्ड परियोजना के लिए 133 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की निश्चित लागत को इन चार वित्तीय वर्षों की औसत विदेशी मुद्रा दर के आधार पर इस नीति की अधिसूचना की तारीख से चार साल बाद भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा। इसी तरह की प्रक्रिया अधिकतम मूल्य के लिए भी की जाएगी जिसमें ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड परियोजनाओं के लिए क्रमशः 166 अमेरिकी डॉलर/एमटी और 146 अमेरिकी डॉलर/एमटी की नियत लागत शामिल है। परिवर्तनीय लागत (ऊर्जा लागत) प्रस्ताव के अनुसार अमेरिकी डॉलर में जारी रहेगी।

8 स्थापित/निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन

इस नीति के तहत स्थापित इकाइयों द्वारा स्थापित/निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन के लिए पात्रता की कार्यप्रणाली के प्रावधानों का निर्णय व्यय विभाग के परामर्श से उर्वरक विभाग द्वारा किया जाएगा।

9 प्रचालन संबंधी सिद्धांत- नीति के प्रचालन के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित है:

9.1 न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की वृद्धि/कमी की गणना प्रत्येक तिमाही के अंत में, पिछले तीन महीनों की औसत गैस कीमत के आधार पर की जाएगी। तदनुसार, प्रत्येक संयंत्र के लिए प्रत्येक तिमाही के लिए आईपीपी (देय) की भी गणना की जाएगी।

9.2 वितरित गैस की कीमत का आकलन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/केंद्रीय पीएसयू/राज्य पीएसयू द्वारा प्रमाणित वितरित गैस की कीमत के आधार पर किया जाएगा।

9.3 ग्रीनफ़ील्ड/रिवाइवल, ब्राउनफ़ील्ड/विस्तार यूरिया इकाइयों की न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय करते समय, यह माना गया है कि यूरिया इकाई को दी गई गैस के वास्तविक मिश्रण की वितरित लागत 6.5 अमरीकी डॉलर/एमएमबीटीयू से कम नहीं होगी।

9.4 यदि वितरित गैस की कीमत 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से अधिक है तो अधिकतम मूल्य और आईपीपी पर विचार नहीं।

यदि वितरित गैस की कीमत 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से अधिक हो जाती है, तो इकाइयों (चाहे विस्तार/ब्राउनफ़ील्ड, ग्रीनफ़ील्ड/पुनर्जीवित) को पैरा 4(ii) (ख) और 5(ii) (ख) पर उल्लिखित वितरित गैस की कीमत के आधार पर ही न्यूनतम कीमत का भुगतान किया जाएगा। अन्य सभी शर्तें जैसे आईपीपी से संबंधित अधिकतम मूल्य और यूरिया की मान्यता गैर-प्रचालनरत हो जाएंगी।

10 प्रस्तावित निवेश नीति के लिए समय अवधि

केवल वे इकाइयां जिनका उत्पादन नीति की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों के भीतर शुरू होता है, नीति के अंतर्गत कवर की जाएंगी। सब्सिडी वर्तमान में केवल घरेलू बिक्री पर उत्पादन शुरू होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इसके बाद, इकाइयां उस समय प्रचलित यूरिया नीति द्वारा शासित होंगी।

11 प्रिल्ड यूरिया/कोटेड यूरिया को अधिदेशित करना

11.1 यूरिया के उपयोग में दक्षता में सुधार के लिए, यह प्रस्तावित है कि उत्पाद प्रबंधन कार्यनीति के एक पैमाने के रूप में, देश में सभी नई यूरिया इकाइयों को प्रिल्ड रूप में या लेपित/संवर्धित यूरिया में यूरिया का उत्पादन करना अनिवार्य होना चाहिए।

11.2 वर्तमान नीति के भाग के रूप में, नीम लेपित/जिंक संवर्धित यूरिया के मामले में अतिरिक्त 5%/10% अतिरिक्त एमआरपी की अनुमति दी जा सकती है।

12 संयुक्त उद्यम इकाइयां

यह प्रस्तावित किया गया है कि विदेशों में स्थापित संयुक्त उद्यम इकाइयों के लिए यूरिया कुल खरीद (ऑफ-टेक) करार के संबंध में निर्णय यूरिया के प्रचलित आयात समता मूल्य (आईपीपी), कीमत और स्वदेशी गैस की उपलब्धता, संयुक्त उद्यम को दी जा रही गैस की लागत और देश में यूरिया की मांग आपूर्ति के अंतराल के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर लिया जा सकता है। तथापि, मार्गदर्शक सिद्धांत यह होगा कि संयुक्त उद्यम से सीएंडएफ आधार पर प्रस्तावित आपूर्ति घरेलू ग्रीनफ़ील्ड इकाइयों के लिए 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की गैस लागत पर न्यूनतम मूल्य के बराबर अथवा उससे कम होनी चाहिए। इस प्रकार, विदेशों में एक स्थित संयुक्त उद्यम के लिए 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की गैस कीमत के अनुरूप न्यूनतम मूल्य का विस्तार करने का वास्तव में मतलब होगा कि आयातित गैस को 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की वितरित कीमत पर प्राप्त करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को पर्याप्त बचत होगी। विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय करते समय, घरेलू इकाइयों के लिए 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की वितरित गैस कीमत के अनुरूप सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य के अध्यधीन, जोखिमों, संभावित समय और लागत में वृद्धि आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्चतर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

13 उत्तर पूर्व में इकाइयों के लिए छूट

उत्तर पूर्वी राज्यों में आने वाली इकाइयों के लिए, गैस के मूल्य-निर्धारण के संबंध में विशेष छूट जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, वह इस क्षेत्र में किसी भी नए निवेश के लिए भी उपलब्ध होगी। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन, यदि वितरित मूल्य (विशेष छूट की अनुमति के बाद) 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से कम हो जाता है, तो लागू न्यूनतम और अधिकतम मूल्य में उपयुक्त समायोजन करने का प्रस्ताव है।

14 यूरिया परियोजना की स्थापना के लिए व्यापक चरण अनुलग्नक-2 पर दिए गए हैं। चूंकि नीति में सरकार द्वारा यूरिया इकाइयों को सब्सिडी/प्रोत्साहन के भुगतान की परिकल्पना की गई है, इसलिए सभी यूरिया इकाइयां जो देश में यूरिया इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रही हैं, उन्हें परियोजना के प्रत्येक चरण की शुरुआत और पूरा होने पर अनिवार्य रूप से जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

15 बैंक गारंटी (बीजी) जमा करना

इस नीति के तहत परियोजना प्रस्तावकों की गंभीरता/विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए, सभी परियोजना प्रस्तावकों को प्रत्येक परियोजना के लिए ₹300 करोड़ की बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। बीजी को परियोजना चक्र में उपलब्धियों से सम्बद्ध किया जाएगा। ₹300 करोड़ में से, एलएसटीके/ईपीसीए संविदाकारों के अंतिम रूप दिए जाने और संविदाकार के खाते में अग्रिम राशि जारी होने के बाद ₹100 करोड़ की बीजी जारी की जाएगी: साइट के मांग आदेशों और आपूर्ति के पूरा होने पर अथवा परियोजना चक्र के मध्यबिंदु पर, जो भी पहले हो, ₹100 करोड़ की बीजी जारी की जाएगी और परियोजना के पूरा होने

पर ₹100 करोड़ की बीजी की शेष राशि जारी की जाएगी। तथापि, पीएसयू को बीजी प्रस्तुत करने से छूट दी गई है।

16 समितियों का गठन:

16.1 परियोजना अनुमोदन समिति

उर्वरक विभाग की एक आंतरिक परियोजना अनुमोदन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सचिव (अध्यक्ष), अपर सचिव/संयुक्त सचिव (यूपीपी), वित्तीय सलाहकार, सलाहकार (लागत) और निदेशक/उप सचिव (यूपीपी) शामिल होंगे जो इस नीति के तहत परियोजना के मूल्यांकन और प्राप्त अनुमोदन के लिए काम करेंगे।

16.2 सचिवों की समिति (सीओएस)

इस नीति के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में सचिव (व्यय विभाग), सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय), सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण) और नीति आयोग के एक प्रतिनिधि के साथ सचिवों की एक समिति का गठन किया जाएगा।

17. यह नीति अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।

(डा. कृष्ण कांत पाठक)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-24014810

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :

1. व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव

2. सीईओ, एनएम आयोग

3. महानिदेशक, द फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 10-शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067

4. उर्वरक विभाग और एफआईसीसी, आरके पुरम नई दिल्ली कार्यालय के सभी अधिकारी/अनुभाग

5. अवर सचिव (आईटी), उर्वरक विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

निम्नलिखित को भी प्रेषित करें:-

श्री एम. एस. श्रीकर, अपर सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ, नई दिल्ली।

अनुलग्नक-1

<u>आयात समता मूल्य:</u> किसी माह के लिए आयात समता मूल्य विचाराधीन माह से पहले के तीन महीनों में प्रचलित कीमतों के आधार पर नीचे दर्शाए गए अनुसार प्राप्त किया जाएगा:

<u>आयात समता मूल्य</u> आईपीपी); किसी विशेष माह के लिए आयात समता मूल्य (आईपीपी) पिछले तीन महीनों के दौरान भारत में यूरिया आयात के वास्तविक औसत सीआईएफ मूल्य और पिछले तीन महीनों के लिए उर्वरक पत्रिकाओं में रिपोर्ट किए गए आईपीपी के बीच कम होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है

आईपीपी x = एफओबी अरब की खाड़ी + मालभाड़ा जहां,

आईपीपी = आयात समता मूल्य

माह के लिए (x)

एफओबी अरब की खाड़ी = पिछले तीन माह (x -1) से (x -3) के दौरान नीचे सूचीबद्ध तीन पत्रिकाओं में एजी के लिए यूरिया की औसत एफओबी रिपोर्ट की गई कीमत।

माल भाड़ा = नीचे सूचीबद्ध तीन पत्रिकाओं में एजी के लिए औसत माल भाड़ा, पिछले तीन माह (x -1) से (x -3) के दौरान।

विनिमय दर आईएनआर में कीमत पर पहुंचने के लिए पिछले तीन महीनों के औसत के रूप में ली जाएगी। आईपीपी कीमतों पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली तीन उर्वरक पत्रिकाएं निम्नानुसार होंगी:

(क) फर्टिलाइजर मार्केट बुलेटिन, यूके;

(ख) ब्रिटिश सल्फर, यूके द्वारा फर्टिलाइजर वीक; और

(ग) फर्टेकॉन वीकली नाइट्रोजन फैक्स, यूके।

अनुलग्नक - 2

यूरिया परियोजना के व्यापक चरण

अमोनिया-यूरिया परियोजना स्थापित करने के विस्तृत चरण निम्नानुसार हैः-

1. पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट
2. तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और कंपनी के निदेशक मंडल से इसकी स्वीकृति
3. परियोजना साइट को अतिम रूप देना
4. एमओईएफसीसी से प्रथम चरण पर्यावरण मंजूरी
5. प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा चयन अथवा ईपीसी (एलएसटीके) निविदा तैयैर करना और मूल्यांकन
6. विस्तृत/बैंक योग्य परियोजना/कंपनी के निदेशक मंडल से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना और अनुमोदन
7. पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करना और एमओईएफसीसी से अंतिम मंजूरी
8. परियोजना के लिए कच्चा माल तथा सम्बद्धित उपयोगिताएं
9. ईपीसीएम या ईपीसी (एलएसटीके) ठेकेदार को अंतिम रूप देना
10. वित्तीय समापन प्राप्त करना
11. ईपीसीएम या ईपीसी (एलएसटीके) ठेकेदार को नौकरी प्रदान करना
12. विभिन्न एजेंसियों के बीच करार पर हस्ताक्षर करना
13. ईपीसीएम अथवा -ईपीसी-ठेकेदार को अग्रिम मोबिलाइज करना
14. वास्तविक प्रगति हासिल - 25%
15. वास्तविक प्रगति हासिल - 50%
16. वास्तविक प्रगति हासिल - 75%
17. परियोजना का आरंभ और उत्पादन का शुरू होना
